परिशिष्ट

[16/7/2024]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 3744

प्रश्न सं. [क. 3744]

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

मार्गदर्शिका

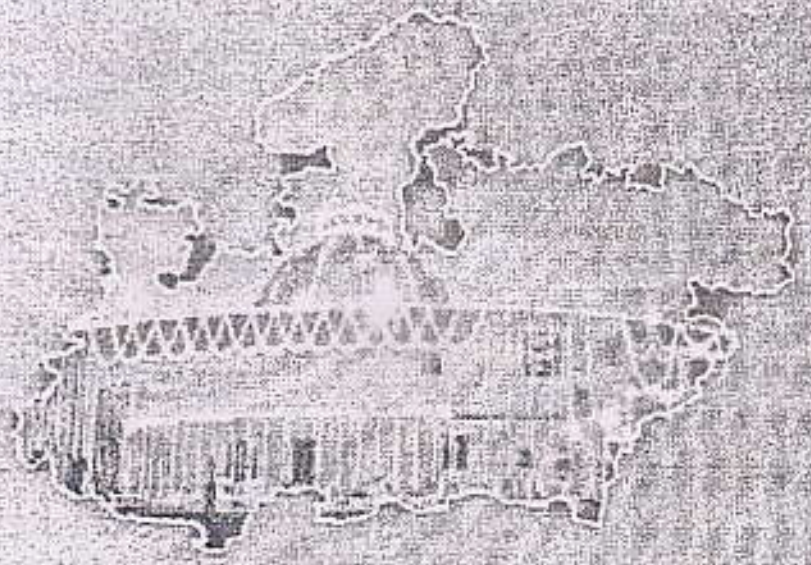

वर्ष 2013

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मध्यप्रदेश

(प्रकाश पन्दे)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

Scanned with OKEN Scanner

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

मार्गदर्शिका

(29 जनवरी, 2013 की स्थिति)

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

2.6 योजना के तहत किसी भी कार्य के लिये स्वीकृत न्यूनतम राशि सामान्यतः रूपये 0.20 लाख से कम नही होना चाहिये किन्तु यदि कलेक्टर विचारोपरान्त यह समझते हैं कि इससे कम राशि वाला कार्य आम जनता के लिये लाभकारी होगा तो वह इसकी स्वीकृति दे सकते हैं।

2.7 अनुशंसित कार्य की क्रियान्वयन एजेन्सी का निर्धारण विधायक के परामर्श से ही किया जावे। विधायकों को अनुशंसित कार्यो के प्राक्कलन चिन्हित एजेन्सी से हिन्दी में बनवाकर उपलब्ध करावें तथा उनसे कार्य विशेष के प्राक्कलन पर सहमति प्राप्त करने के बाद ही, कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति देवें।

2.8 चिन्हित क्रियान्वयन एजेन्सी से प्राक्कलन प्राप्त करते समय कार्य पूर्णता की अवधि ज्ञात कर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में अंकित की जावे। एजेन्सी द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त करने पर एजेन्सी को परिवर्तित करने पर माननीय विधायक के परामर्श से तत्काल विचार किया जावे।

2.9 राज्य शासन द्वारा विभिन्न निर्माण विभागों द्वारा सम्पादित इस योजना के कार्यो को पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्त किया गया है। संबंधित निर्माण विभाग द्वारा केवल कार्य की लागत के बराबर ही धनराशि की मांग की जावेगी, जिसमें पर्यवेक्षण प्रभार (Supervision Charges) नहीं जोड़े जाएंगे।

तथापि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले विद्युतिकरण के कार्यो हेतु 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क (Supervision Charges) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की वितरण कंपनियों को देय होगा। यह पर्यवेक्षण प्रभार, प्राक्कलन में शामिल होगा।

2.10 योजना के कार्यो को चिन्हित करने के लिये कार्यस्थल पर पत्थर/धातु का एक पटल जिस पर स्वीकृत/पूर्ण कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी यथा योजना का नाम, कार्य की लागत, क्रियान्वयन एजेन्सी का नाम, कार्य की पूर्णता की तिथि, माननीय विधायक का नाम जिनकी अनुशंसा के अनुसार कार्य किया गया अंकित हो, लगाया जावे। इसे कार्य के प्राक्कलन में शामिल किया जावेगा।

2.11 इस योजना के अन्तर्गत किसी भी कार्य के लिये किसी भी प्रकार के ठेकेदारों/सप्लायरों को अग्रिम राशि का भुगतान करना निषिद्ध है। जहां कहीं भी मार्गदर्शिका ठेकेदारों/प्रायजकों को काम में लगाने की अनुमति नहीं देती, वहां ठेकेदारों/प्रायोजको को काम देना निषिद्ध है।

यदि संबंधित शासकीय एजेन्सी की कार्य प्रणाली अनुसार ठेकेदारी के माध्यम से कार्य कराया जाता है तो इस योजना के कार्यो हेतु ठेकेदारों के चयन

(प्रकाश पन्द्रे)
अपर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

Scanned with OKEN Scanner